(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

उनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमति दमीदेवी पुत्र लुम्बाराम कौम जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी		1. गजरों पत्नि शोभाराम 2. भैराराम पुत्र शोभाराम 3. राजुराम पुत्र चुतराराम 4. हीराराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी निरीयानाडा तहसील सिणधरी 5. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. सिणधरी 6. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः—88,188,40,90,91,92 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :—43/2022
निर्णय दिनांक :— 14.12.2023

वादीनी की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 6 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.12.2023 को श्री प्रमोद कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:— वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नीरियानाडा तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 185 रकबा 21.04 बीघा, इसी ग्राम की खसरा नम्बर 176 व 177 कुल रकबा 23.09 बीघा तथा ग्राम विष्णु मन्दिर का वास तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 13 व 14 कुल रकबा 47.14 बीघा के उपतहसीलदार सिणधरी द्वारा जरिये आदेश कमांक 711 दिनांक 27.07.2007 को किये गये विभाजन को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करते हुए विभाजन पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। ग्राम नीरियानाडा की खसरा नम्बर 185 रकबा 21.04 बीघा भूमि वादिनी की आवगी ख़ातेदारी में घोषित की जाती है। ग्राम नीरियानाडा की खसरा नम्बर 176 व 177 कुल रकबा 230.09 बीघा एवं विष्णु मन्दिर का वास की खसरा नम्बर 13 व 14 कुल रकबा 47.14 बीघा भूमि में वादिनी को प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/4 हिस्सा वादिनी की, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तथा 1/4—1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्व वादिनी के हक की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:07 IST
Reason: SelfAttested

यह आज तारीख 14.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादीनीगण		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 43 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमति दमीदेवी पुत्र लुम्बाराम कौम जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी		1. गजरों पत्नि शोभाराम 2. भैराराम पुत्र शोभाराम 3. राजूराम पुत्र चुतराराम 4. हीराराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी निरीयानाडा तहसील सिणधरी 5. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. सिणधरी 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40,90,91,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री भंवरलाल चौधरी वकील वादिनी।
2. पैरोकार सरकार।
3. प्रतिवादी सं. 1 से 5 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 14.12.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 की पुश्तैनी सम्पति की सयुंक्त हक एवं कब्जाकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 176 व 177 कुल रकबा 230.09 बीघा ग्राम नीरियानाडा में तथा खसरा नम्बर 13 व 14 कुल रकबा 47.14 बीघा ग्राम विष्णु मन्दिर का वास तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि वक्त बंदोबस्त चुतराराम पुत्र चोलाराम के नाम दर्ज थी, जिनके 4 पुत्र– वादिनी के पिता लुम्बाराम, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता–पति शोभाराम, प्रतिवादी सं. [illegible] सं. 4 हीराराम–थे। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रत्येक थौक का 1/4–1/4 [illegible] इसी तरह ग्राम नीरियानाडा की खसरा नम्बर 185 रकबा 21.04 [illegible] आवगी खातेदारी की थी। वादिनी लुम्बाराम की पुत्री की हैसियत से प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद हल्का पटवारी ने लाऔलाद मानते हुए लुम्बाराम के वारिसान हकों की अन्तरण उसके द्वितीय श्रेणी के वारिसान उसके शेष तीन भाईयों के हक में कर दिया और उन्होनें गलत अंकन का फायदा उठाकार वादग्रस्त भूमि का विभाजन भी करवा लिया। जबकि वादिनी ख.नं. 185 की आवगी भूमि एवं शेष वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। इस प्रकार हिंदु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए लुम्बाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:07 IST
Reason: SelfAttested

का अन्तरण उसके भाईयों के नाम से किये जाने से वादिनी अपने जायज हकों से महरूम हो गई। अतः वादिनी प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा करवाये हुए विभाजन को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाते हुए ग्राम नीरियानाडा की ख.नं. 185 की समग्र भूमि एवं शेष वादग्रस्त खसरों में 1/4 हिस्से की भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध अपने हक की भूमि के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादिनी श्रीमति दमीदेवी पी.डब्ल्यू–1, हीराराम पी.डब्ल्यू–2, लाभूराम पी.डब्ल्यू–3, चूनाराम पी.डब्ल्यू–4 ने अपने शपथ पत्रों प्रस्तुत किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम एड अमरसिंह के खेत खसरा नम्बर 14 व 13 की जमाबन्दी नकल संवत् 2029–2032 दस्तावेज प्रदर्श EX1,एड अमरसिंह 2037 से 2040 दस्तावेज प्रदर्श EX2, ग्राम पांयला कलां के खेत खसरा संख्या 185 की जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 दस्तावेज प्रदर्श EX3, नामान्तरकरण संख्या 351 ग्राम पांयला कलां दस्तावेज प्रदर्श EX4, राजस्व ग्राम पायला कलां खेत खसरा संख्या 176 व 177 की जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 दस्तावेज प्रदर्श EX5 संवत 2044 से 2047 की इसी ग्राम की जमाबन्दी दस्तावेज प्रदर्श EX6, ग्राम पांयला कलां के खेत खसरा संख्या 176 व 177 की जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 दस्तावेज प्रदर्श EX7, ग्राम पांयला कलां के खेत खसरा संख्या 185 की जमाबन्दी संवत 2044 से 2047 दस्तावेज प्रदर्श EX8, नामान्तरकरण ग्राम निरियानाडा संख्या 52 दस्तावेज प्रदर्श EX9, ग्राम पायला कला नामान्तरकरण संख्या 255 दस्तावेज प्रदर्श EX10 ग्राम निरियानाडा का नामान्तरकरण संख्या 120 दस्तावेज प्रदर्श EX11, नामान्तरकरण संख्या 142 दस्तावेज प्रदर्श EX12, ग्राम निरियानाडा की जमाबन्दी वर्ष 2019 दस्तावेज प्रदर्श EX13, ग्राम निरियानाडा की जमाबन्दी खाता संख्या 114 संवत 2076 से 2079 दस्तावेज प्रदर्श EX14, ग्राम निरियानाडा की जमाबन्दी खाता संख्या 82 संवत 2076–2079 दस्तावेज प्रदर्श EX15, ग्राम विष्णु मन्दिर का वास की जमाबन्दी खाता संख्या 84 संवत 2076 से 2079 दस्तावेज प्रदर्श EX16, ग्राम विष्णु मन्दिर का वास खाता संख्या 72 संवत 2076 से 2079 दस्तावेज प्रदर्श EX17, ग्राम विष्णु मन्दिर का वास जमाबन्दी खाता संख्या 91 संवत 2076–2079 दस्तावेज प्रदर्श EX18, तहसीलदार सिणधरी के द्वारा तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव दस्तावेज प्रदर्श EX19 व नक्शा मौका बंटवाड़ा दस्तावेज प्रदर्श EX20, बंटवाड़ा का आदेश दस्तावेज प्रदर्श EX21, वादीनी के पिता द्वारा ग्राम पायला कलां के खेत खसरा संख्या 185 की रजिस्ट्र्ड बैचान अपने नाम करवाया जो दिनांक 19.01.1977 को करवाई जिसकी प्रमाणित नकल दस्तावेज प्रदर्श EX22, वादीनी के [illegible] निरियानाडा की टी.सी. की प्रमाणित नकल दस्तावेज प्रदर्श EX23 व वादीनी के [illegible] की [illegible] लिस्ट विधानसभा क्षेत्र 175 भाग संख्या 146 ग्राम पायला कलां क्रम संख्या 18[illegible] प्रमाणित नकल दस्तावेज प्रदर्श EX24 जो दस्तावेज वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन हेतु पेश किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:07 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी वकील की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वादिनी के विद्वान वकील ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मुतवफी लुम्बाराम की हिंदु उतराधिकार अधिनियम की अनुसूची एक की वारिस पुत्री वादिनी के मौजूद होने के बावजूद वादग्रस्त भूमि में निहित लुम्बाराम के हको का राजस्व रिकार्ड में उसके द्वितीय अनुसूची के वारिस उसके भाईयों के नाम अमलदरामद कर दिया। जबकि प्रथम सूची के एक भी वारिसान पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः

का हस्तक्षेप नहीं किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी करवाने की अधिकारिणी है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध बतौर गवाह शपथपत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। ग्राम नीरियानाडा की ख.नं. 176 व 177 कुल रकबा 230.09 बीघा एवं ग्राम विष्णु मन्दिर का वास की ख.नं. 13 व 14 कुल रकबा 47.14 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त मुतवफी चुतराराम पुत्र चोलाराम की खातेदारी की थी, जिनके फौत होने पर उक्त भूमि उनके 4 पुत्रों – वादिनी के पिता लुम्बाराम, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता–पति शोभाराम, प्रतिवादी सं. 3 राजूराम एवं प्रतिवादी सं. 4 हीराराम की खातेदारी में दर्ज हुई। इसके अतिरिक्त ग्राम नीरियानाडा की ख.नं. 185 रकबा 21.04 बीघा भूमि वादिनी के पिता लुम्बाराम की कयशुदा खातेदारी की थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत किसी मृत निर्वसीयती की मृतयु होने पर उसके वारिसाना हको का निर्धारण उसी विधि से होगा, जिसके कि मृत्यु के समय अध्यधीन था। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्ताजेज T.C. के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुतवफी लुम्बाराम की जाइन्दा पुत्री है। लुम्बाराम जाति से जाट होने से हिन्दु विधि से शासित था। अतः हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की अनुसूची प्रथम की वादिनी वारिस होने से उसकी सम्पति की वही उतराधिकारिणी थी, किंतु उसके बजाय लुम्बाराम के द्वितीय अनुसूची के वारिसान उसके भाईयों के नाम जरिये ना0क0 राजस्व रिकार्ड में अमलदराम कर दिया गया, जबकि प्रथम अनुसूची के वारिस के रूप में वादिनी विद्यमान थी। इस प्रकार वादिनी ख.नं. 185 की सम्पूर्ण भूमि एवं अन्य वादग्रस्त खसरों के 1/4 हिस्से की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।

लिहाजा वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नीरियानाडा तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 185 रकबा 21.04 बीघा, इसी ग्राम की खसरा नम्बर 176 व 177 कुल रकबा 23.09 बीघा तथा ग्राम विष्णु मन्दिर का वास तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 13 व 14 कुल रकबा 47.14 बीघा के उपतहसीलदार सिणधरी द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 711 दिनांक 27.07.2007 को किये गये विभाजन को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करते हुए विभाजन पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। ग्राम नीरियानाडा की खसरा नम्बर 185 रकबा 21.04 बीघा भूमि वादिनी की आवगी खातेदारी में घोषित की जाती है। ग्राम नीरियानाडा की खसरा नम्बर 176 व 177 कुल रकबा 230.09 बीघा एवं विष्णु मन्दिर का वास की खसरा नम्बर 13 व 14 कुल रकबा 47.14 बीघा भूमि में वादिनी को प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/4 हिस्सा वादिनी की, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2की तथा 1/4–1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्व वादिनी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:07 IST
Reason: SelfAttested

14/12/2023

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर